

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- बरवाली
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
गीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 18 सन 2018

अनवान :-

1. डालूराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजाराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर।
2. हेतराम 3 महेन्द्र 4 लीलूराम पि0 राजाराम जाति जाट साकिन नेहराना तहसील नोहर।
5. समेस्ता पुत्री विनोद पुत्री राजाराम जाति जाट साकिन नेहराना तहसील नोहर।
6. पायल 7 आरजू पुत्री धोली पुत्री राजाराम पत्नि मोहनलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
8. रोशनी पुत्री राजाराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट
उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 21.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") पेश निवेदन किया की रोही मौजा नेहराना के खाता संख्या 4/4 के खसरा न0 7/24.9100हैक खसरा न0 13/13.2140हैक कुल 38.1240हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा जयलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 वादी की पिता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत - 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 ने निवेदन किया उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जयलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हक हिस्सा है वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबूतों/प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नेहराना के खाता संख्या 4/4 के खसरा न0 7/24.910हैक, 13/13.2140हैक कुल 38.1240हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काशतकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रुपये पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

शिविरभाषी

राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट-बरवाली

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-बरवाली
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

राज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

सनवान :-

1. डालूराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजाराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर।
2. हेतराम 3 महेन्द्र 4 लीलूराम पि0 राजाराम जाति जाट साकिन नेहराना तहसील नोहर।
5. समेस्ता पुत्री विनोद पुत्री राजाराम जाति जाट साकिन नेहराना तहसील नोहर।
6. पायल 7 आरजू पुत्री धोली पुत्री राजाराम पत्नि मोहनलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
8. रोशनी पुत्री राजाराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 16 सन 2018 निर्णय दिनांक-21.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज

अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो /आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा नेहराना के खाता संख्या 4/4 के खसरा न0 7/24.910हैक , 13/13.2140हैक कुल 38.1240हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभाषी
राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट-बरवाली